

प्रधान आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.ipr@gov.in (केंद्र कंट्रोल यूनिट) Telefax: 0141-2385813

फा.सं. II-31(145)सीसीयू/जेपीआर/2023/479

दिनांक: 06.09.2023

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवार को वेतनमान पी.बी.-1 रु. 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु. 2400/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 25500-81100 में लेवल 4 (Level-4 in the Pay Matrix Rs. 25500-81100)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में कर सहायक (ग्रुप-स) के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	Umesh Kumar Sharma	11.07.1996	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/TAX ASSISTANT/86579 dated 06.09.2023

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर-"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी:-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- उनका कर सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- उनकी कर सहायक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढ़ाई जा सकती है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।
- वह राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।


- 6 यदि वह संलग्न एनक्वजर-“अ” व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 05.10.2023 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कर सहायक के पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट मय चरित्र प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनक्वजर-“अ”

-हस्ता.-
(सुमीत कुमार यादव)
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi - 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III B दिनांक 08.08.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अधीक्षक (प्रशासन/ गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. मु.ले.अधिकारी/ आहरण एवं वितरण अधिकारी/ प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक (सत), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
6. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
7. निजी पत्रावली / सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड / वरीयता सूची।
8. महा सचिव, मंत्रालयिक अधिकारी संघ, जयपुर।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(सुमीत कुमार यादव)
अपर आयुक्त

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी
..... को
पिछले वर्ष माह से जानता हूँ और मेरी अधिकतम जानकारी तथा
विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की
कामना करता हूँ।

श्री मेरे संबंधी नहीं है।

दिनांक :

(हस्ताक्षर एवं पद)

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री सुपुत्र
/ सुपुत्री श्री निवासी
..... को
पिछले वर्ष माह से जानता हूँ और मेरी अधिकतम जानकारी तथा
विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की
कामना करता हूँ।

श्री मेरे संबंधी नहीं है।

दिनांक :

(हस्ताक्षर एवं पद)

प्रधान आयुक्त कार्यालय
सी.जी.एस.टी. एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

सेवा की शर्तें

- (1) उनको दो राजपत्रित अधिकारियों, जो कि उनसे संबंधित न हों, से दो चरित्र प्रमाण प्रमाण (तीन महीने से अधिक पुराने न हों) प्रस्तुत करने होंगे, उनको सेवा में लगाये रखना इस बात पर निर्भर करता है कि वे सभी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए उपर्युक्त पाये जायें।
- (2) किसी भी केन्द्रीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो—
 - (क) भारत का नागरिक हों, या
 - (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
 - (ग) भूटान की प्रजा हो, या
 - (घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या
 - (ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन कर आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।

— किन्तु साथ में शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) और (घ) से संबद्ध उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो।
- (3) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन यदि उन्होंने कोई नौकरी की हो तो उन्हें लिखित रूप में इसकी पूरी सूचना देनी चाहिए/या नौकरी कर रहे हों तो उन्हें लिखित रूप में इस कार्यालय को पूरी सूचना देनी चाहिए तथा इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्हें वर्तमान विभाग से त्यागपत्र देना होगा, जिसका स्वीकृत प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है तो भविष्य में होने वाली समस्त कार्यवाहियों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) उन्हें नीचे दिए फार्म में निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में लेनी होगी :
" मैं घोषणा करता हूँ कि :-
 - (क) मैं विवाहित/अविवाहित हूँ।
 - (ख) मैं विवाहित हूँ और मेरे एक ही जीवित पत्नी है।

— मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मुझे मालूम है कि यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह घोषणा गलत पायी जाये तो मुझे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
- (5) उनको चेतावनी दी जाती है कि किसी भी बात के संबंध में गलत सूचना देने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (6) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू किये गये अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।
- (7) किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित उनके किसी आवेदन पत्र को अग्रेषित करने या रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त है।
- (8) उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
- (9) उनको नीचे दिए गए फार्म में वचन देना होगा :-
"मैं सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय-समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।"
- (10) उनको इस विभाग में बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका चरित्र अच्छा हो।
- (11) उनको विभागीय परीक्षाओं के तहत निर्धारित विभागीय पदोन्नति परीक्षा/ स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- (12) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है, जब तक कि जाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित नहीं हो जाता। यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी/अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित दावा असत्य/झूठा है तो इस तरह के अभ्यर्थी की सेवाएँ बिना पूर्वाग्रह व बिना किसी अग्रिम कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और इस प्रकार का असत्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
- (13) All new entrants, who have joined the Central Government Service on or after 01.01.2004 will be governed by the Contributory Pension Systems introduced vide Ministry's letter F.No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) dated 22.12.2003.